...लय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

...0 –240/2021

...न : –

1. अमरसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. मोहनसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. इन्द्रदेव पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. दलीप पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. धनराज पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. कृष्णा पत्नी मालूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
7. जयप्रकाश पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
8. मंजू पुत्री मालूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
9. सुशीला पुत्री मालूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
10. लादूराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
11. डूंगरराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
12. राजेन्द्र पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
13. जुगलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
14. चन्दो देवी पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
15. रूकमा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोशणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद सिंगाठिया **वादीगण**
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल **प्रतिवादीगण**

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,) ...दरा (जिला-हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः 13/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 156/127 के मु0न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7 व मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 1.518है0 बारानी गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण के पिता रामलाल व चाचा रामचन्द्र, जयलाल व श्रीचंद के चक 3 बीआरडब्ल्यू के मु0 न0 57 के किला न0 3 ता 8, मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 8 बीघा बारानी कृषि भूमि मि0न0 945 दिनांक 19.09.1957 को बहुक्म दफतर साहब डी0सी हनुमानगढ़ द्वारा आंवटित हुई थी। उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पिता रामलाल ने

मु0न0 57 के किला न0 3, 8 की 2 बीघा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। शेष 6 बीघा शेष भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है। वादीगण के चाचा श्रीचंद लाऔलाद फौत हो गये थे जिसके चलते वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता व श्रीचंद के नाम दर्ज हरी चक 3 बीआरडब्लयू की 38 बीघा भूमि के विरासतन इंतकाल में श्रीचन्द के हिस्से में जायज वारिसान के रूप में वादीगण के पिता रामलाल व चाचा रामचन्द्र व जयलाल के दर्ज कर दिया गया। लेकिन वाद भूमि में श्रीचन्द के हिस्से में केवल रामचन्द्र व जयलाल को दर्ज कर दिया गया जबकि रामलाल को विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय छोड़ दिया गया। इस प्रकार रामलाल के वारिसान 6 बीघा भूमि में श्रीचन्द के नाम दर्ज हिस्से में रामलाल के वारिसान के रूप में 1/3 हिस्सा में तथा उक्त वाद भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि उक्त वाद भूमि में श्रीचन्द के लाऔलाद फौत होने पर विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय रामलाल का नाम संवहन से दर्ज नही हुआ, अतः रामलाल के वारिसान अपना नाम 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाना चाहते है। तथा उक्त वाद भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण कानूनी रूप से वाद भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः उपरोक्त घोषणा करवा पाने के लिए वादीगण ने न्यायालय हाजा में वाद दायर किया है। यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 15 वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाव दावा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा विना वाद के खण्डन किये विना जवाव पेश किया गया है इसलिए तनकी कायमी की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है।

वहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि की 8 वीघा वादीगण के पिता व चाचा रामचन्द, जयलाल व श्रीचन्द को अलॉट हुई थी। जिसमें से 2 वीघा की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष 6 वीघा वाद भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त 6 वीघा वाद भूमि में श्रीचन्द के लाऔलाद फौत होने पर जव विरासतन नामान्तरण खोला गया तव वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया जवकि इसी चक की 38 वीघा खातेदारी भूमि में श्रीचन्द के हिस्से में वादीगण के पिता का नाम जरिये विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार चक 3 वीआरडव्ल्यू के मु0न0 57 के किला न0 4 ता 7 व मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 6 वीघा में प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 14–15 का नाम भी 1/3 हिस्सा में दर्ज किया जावे। उक्त वाद भूमि से संवंधित समस्त राजकोष भी वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा जमा करवाया गया है व निरन्तर विना किसी विवाद व शांतिपूर्वक तरिके से वाद भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा काश्त किया जा रहा है इस प्रकार गैर खातेदार की जगह खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। व इसी अनुसार दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डीक्री किया जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभापक की वहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 3 वीआरडब्ल्यू के खाता सं0 156/127 के मु0न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7 व मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 1.

18है0 बारानी गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खातेदारी अधिकारों के साथ–साथ अपने कों की घोषणा चाही है। वादीगण के पिता के एक भाई श्रीचंद के लाऔलाद फौत होने पर उनके थम श्रेणी के वारिसान के रूप में एक अन्य 38 बीघा भूमि में नामान्तरण सं0 7 दिनांक 24.10.1997 के द्वारा श्रीचंद के तीनो भाई के नाम तस्दीक किया गया। लेकिन उक्त विवादित भूमि के नामान्तरण सं0 8 दिनांक 24.10.1977 को रामलाल को छोड़कर शेष अन्य दो भाईयों के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। उक्त विवादित भूमि रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 156/127 के मु0न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7 व मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 1.518है0 मि0न0 945 दिनांक 19.09.1957 को बहुक्म दफ्तर साहब डीसी हनुमानगढ को 50 रू प्रति बिघा की दर से आंवटित हुई तथा मुताबिक जमाबंदी एकीकरण संवत 2016 के अनुसार रामचन्द्र, श्रीचन्द, जयलाल पि0 सुखराम भूमिहीन व अलॉटियन गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त वाद भूमि के संबंध में समस्त राजकोष तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक राजकोष में जमा होना दर्शाया गया है। तथा वाद भूमि को निरन्तर बिना किसी विवाद व शांतिपूर्वक तरिके से वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा काश्त किया जा रहा है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 156/127 के मु0न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7 व मु0न0 58 के किला न0 1, 10 की कुल 1.518है0 बारानी गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में गैर खातेदार कलमजन किया जाकर तथा श्रीचंद वल्द सुखराम के 2 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण सं0 1 ता 2 तथा 14 ता 15 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...13/2/23... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़